संख्या: 14/2016/300 /61-2016-61(23)/2000.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
संबंधित जनपद।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल 2016.

विषय: उत्तर प्रदेश के नवसृजित जनपदों के जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु स्वीकृत अस्थाई पदों की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:280/61-2015-61(23)/2000, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न नवसृजित जनपदों हेतु संलग्न विवरण के अनुसार उनके सम्मुख उल्लिखित अस्थाई पदों, जिनका कार्यकाल 29 फरवरी, 2016 तक स्वीकृत है, की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि ये पद इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।

2- उक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या: 14/2016/300 (1)/61-2016 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.
(3) कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।